न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–107/2022

अमिरका महतो.....वादी

बनाम

ओमप्रकाश महाते एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
17.05.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 25.01.2023 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। जो आज दिनांक 17.05.2023 को आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद वादी मद न0–01 की भूमि पर अपना स्वत्व हेतु दाखिल किया है। मद न0–02 की भूमि पर वादी अपना दखल कब्जा दिलवाने की अर्जी न्यायालय से किया है तथा मद न0–03 की जो भूमि है उस पर वादी का दखल कब्जा है तथा प्रतिवादीगणों को उसमें हस्तक्षेप करने रोकने हेतु अनुतोष की मांग की गयी है। मद न0–01 की भूमि वादी को निबंधित बक्ख्शीशनामा दिनांक 08.11.1996 को प्रसाद महतो से प्राप्त है। खाता–80 खेसरा–1499 कुल रकबा 02 कट्ठा 08 धुर भूमि में से 17 धुर में वादी का ईट खपरैल का मकान है, जिसमे वादी रहता है। शेष भूमि में वादी का कोला बारी है। वादी अपने वाद पत्र के पैरा न0–12 के अंत में यह जोडना चाहता है कि खाता–80 खेसरा–1499 में 17 धुर भूमि में वादी का ईट खपरैल का मकान है जिसमें वादी रहता है इसके अतिरिक्त शेष बची भूमि में वादी का कोला–बारी है। जिसमें केला, पपीता एवं नींबु का पेड है। वादी के द्वारा प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही होता है। अतः आवेदनानुसार वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर दिनांक 29.03.2023 को वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि वादी का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज होने योग्य है। वादी का आवेदन वादी के द्वारा	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–107/2022

लगातार 17.05.2023	पूर्व में की गयी स्वीकृतियों को वापस लेने जैसा है। अतः आवेदन पोषणीय नही है। अतः आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी प्रांरभिक अवस्था में है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है परंतु वादी द्वारा अगर तत्परता बरती होती तो उक्त संशोधन की आवश्यकता नही पडती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादी का आवेदन मो0–1000/– रूपयें हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 29.05.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	